राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0
सचिव, स्वास्थ्य सह
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः SHSB/GA/535/2011/ 1872,
पटना, दिनांकः 14/6/16

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार
सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषय : प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण ऑपरेशन (PPS) को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने के संबंध में।

महाशय / महाशया,

परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबद्ध लक्ष्यों को शीघ्रताशीघ्र हासिल करने के उद्देश्य से प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण ऑपरेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त एवं इच्छुक लाभार्थी को प्रसव के साथ ही परिवार कल्याण ऑपरेशन सेवा निर्गत किया जा सके, उन्हें प्रसवोपरान्त अवांछित गर्भधारण से बचाया जा सके एवं महिला बंध्याकरण Camp का भार कम करके Fixed day services को Camp के जगह पर जल्दी–से–जल्दी अधिस्थापित किया जा सके। सभी FRU (सदर अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल) पर सर्जन, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ, मुर्च्छक, पारा मेडिकल स्टॉफ, परिवार कल्याण परामर्शी के रहते हुये भी राज्य में हो रहे संस्थागत प्रसव का मात्र 1.6 प्रतिशत ही प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण ऑपरेशन सम्पादित हो रहा है, जबकि यह कम–से–कम 10 प्रतिशत होना चाहिए।

प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण ऑपरेशन (PPS) को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। इसके तहत् आशा प्रत्येक माह गृह भ्रमण के दौरान उन गर्भवती महिलाओं को प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण ऑपरेशन का परामर्श देगी, जिनका परिवार प्रसव के बाद पूरा होने वाला है। प्रत्येक मासिक आशा दिवस को उपरोक्त कार्य हेतु संबंधित स्वास्थ्य संस्थान द्वारा आशाओं को इसके लिए उत्प्रेरित किया जाना है। हर एक Antenatal Visit के दौरान यह सुनिश्चित होना है कि वैसे इच्छुक एवं उपयुक्त लाभार्थियों को स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ / सर्जन / स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी / ए0एन0एम0 / परिवार कल्याण परामर्शी प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण ऑपरेशन के लिए उत्प्रेरित करें।

प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण ऑपरेशन के क्रियान्वयन में परिवार कल्याण परामर्शी का इष्टतम उपयोग किया जाना है। संस्थान में Antenatal Visit एवं प्रसव के लिए आई इच्छुक एवं उपयुक्त महिला एवं उसके परिवार जनों को परिवार कल्याण परामर्शी प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण ऑपरेशन के फायदे बताने के साथ उचित परामर्श देना सुनिश्चित करेंगे। उनके इस कार्य में स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ / सर्जन / संस्थान के प्रभारी / ए0एन0एम0 / स्टाफ नर्स / संस्थान प्रबंधक हर संभव मदद करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि इच्छुक एवं उपयुक्त महिला का प्रसवोपरान्त बंध्याकरण ऑपरेशन संपादन हो।

प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण ऑपरेशन सम्पादित होने के पश्चात् उन्हें प्रत्येक माह के 5 तारीख तक पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में ई–मेल ddfp@statehealthsocietybihar.org एवं fpshsb@gmail.com पर निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रसवोपरान्त बंध्याकरण का आकलन किया जा सके एवं इसके विस्तारीकरण को स्थापित महिला बंध्याकरण Camps का Load कम करके Fixed day services को जल्द–से–जल्द सफलीभूत किया जा सके।

अनुलग्नक– यथोक्त (Reporting Format)।

विश्वासभाजन

14/6

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

प्रसवोपरान्त परिवार कल्याण ऑपरेशन सम्पादित होने के पश्चात् उन्हें प्रत्येक माह के 5 तारीख तक पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में ई–मेल ddfp@statehealthsocietybihar.org एवं fpshsb@gmail.com पर निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रसवोपरान्त बंध्याकरण का आकलन किया जा सके एवं इसके विस्तारीकरण को स्थापित महिला बंध्याकरण Camps का Load कम करके Fixed day services को जल्द–से–जल्द सफलीभूत किया जा सके।

अनुलग्नक– यथोक्त (Reporting Format)।

विश्वासभाजन
ह0/–
(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक सं.: 1872 **पटना, दिनांकः** 14/6/16

प्रतिलिपिः

– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

– डा0 एस0 के0 सिकदर, उपायुक्त एवं प्रभारी, परिवार नियोजन प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

– सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

– टीम लीडर, आश संसाधन केन्द्र (ARC), रा0स्वा0समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

– जिला परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी/ACMO, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6

सचिव, स्वास्थ्य
सह
कार्यपालक निदेशक